राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 1006 / 2006 / नागौर

मोहनबाई चेली श्री भनादास जाति कलाल निवासी ग्राम रोहिसा (जगन्नाथपुरा)
हाल कृष्णा कोलोनी (नया बाजार) ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेडता जिला नागौर

...रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री अजीत सिंह राठौड, अभिभाषक अपीलांट
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक

दिनांक : 28.4.2022

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर केम्प मेडता द्वारा अपील संख्या 92 / 2005 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2–2–2006 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट / वादीया ने धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जगन्नाथपुरा में खसरा नंबर 38 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में 1 / 2 भूमि स्व0श्री भनादास जी महाराज की खातेदारी की कब्जा सुद व काश्त सुदा आई हुई है। भनादास जी का देहान्त दिनांक 18–10–2003 को हो गया। वादीया (कबीर पंथी) साध्वी है तथा ग्राम जगन्नाथपुरा में भनादास जी महाराज की चेली है। ग्राम जगन्नाथपुरा में कबीर पंथियों की गादी है, जिस पर गुरू की मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके चेलो को ही बनाया जाता है। भनादास जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 25–8–2000 को वादीया के पक्ष में एक

वसीयतनामा तहरीर व तकमील की, जिस वसीयतनामा पर भनादास जी ने अपने हस्ताक्षर करके उक्त रकबे की 1/2 हिस्से की खातेदारी को वादीया के पक्ष में वसीयत करके अपनी मृत्यु के उपरान्त वादीया को अपना हकदार नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की। जिससे उक्त वसीयतनामा से वादीया भनादास जी के स्थान पर उक्त खसरे की खातेदार काश्तकार है। वादीया ने भनादास जी के देहान्त के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार मेडता को निवेदन किया लेकिन तहसीलदार मेडता ने वसीयतनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से इस पर कार्यवाही करने से व इसके आधार पर खातेदारी इन्द्राज करने से इंकार कर दिया, जिससे वाद पत्र पेश कर इस्तदुआ वादीया यह है कि खसरा नंबर 38 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के 1/2 हिस्से की खातेदार वादीया को घोषित किया जावे व राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार वादीया का नाम दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी तहसीलदार मेडता ने बावजूद तामील जवाब दावा पेश नहीं किया। इसलिए प्रतिवादी का जवाब देही का अवसर दिनांक 5–4–2005 बंद किया गया एवं पत्रावली शहादत वादी की लिए नियत की गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने वादीया की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 द्वारा वादीया का वाद साक्ष्यों के अभाव में साबित नहीं होने से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट/वादीया ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 2–2–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब दावा पेश नहीं किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया गया था कि वादीया भनादास जी की चेली नहीं है अथवा भनादास जी रेकार्डेड खातेदार नहीं थे तो इसी आधार पर विचारण न्यायालय को वादीया का वाद डिक्री करना चाहिए था। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मूल वसीयत पेश नहीं की गई, ऐसी स्थिति में यदि अधीनस्थ न्यायालय उचित समझते तो मूल वसीयत स्वयं तलब कर निर्णय पारित कर सकते थे। उनका यह भी तर्क है कि भनादास जी बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे थे एवं उनकी मृत्यु के बाद वादीया/अपीलांट लगातार काबिज काश्त चली आ रही है, जो उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर खातेदार है। फिर भी वादीया ने भनादास जी द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर उद्घोषणा का वाद पेश

किया, जबकि राजस्व ऐजेन्सी को ही विवादित भूमि वादीया के नाम नामान्तरित कर अधिकार अभिलेख में बहैसियत खातेदार दर्ज कर देना चाहिए था। किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को समझे बिना वादीया का वाद एवं अपील खारिज करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें एवं वादीया का वाद डिक्री फरमाय जावे। अपने पक्ष के समर्थन में उन्होंने AIR 2007 SC 2025, 1984 RRD 391, 1986 RRD 135 के न्यायिक दृष्टांत उद्धृत किये।

5. विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादीया ने अपने कब्जे काश्त के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की। वादीया द्वारा अपंजीकृत एवं अप्रमाणित वसीयत की फोटो प्रति पेश की गई है। वादीया द्वारा उक्त वसीयत को स्वयं के बयानों अथवा गवाहों के बयानों से भी प्रमाणित नहीं करवाया है। ऐसे में अपंजीकृत एवं अप्रमाणित वसीयतनामें से अपीलांट/वादीया को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसी स्थिति में साक्ष्यों के अभाव में वादीया का वाद खारिज करने में विचारण न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय से सहमति दर्शाते हुए अपीलांट की अपील को खारिज किया है, जो उचित है। अतः यह अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट/वादीया ने तथाकथित अपंजीकृत एवं अप्रमाणित वसीयतनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 25–8–2000 को वादीया, किसी गवाह अथवा अपने स्वयं के बयानों से, साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। साथ ही वादीया ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे काश्त के संबंध में भी किसी प्रकार कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य भी पेश नहीं की है, ऐसी स्थिति में एक अपंजीकृत एवं अप्रमाणित वसीयतनामा की फोटो प्रति के आधार पर वादिया को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे में विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने वादिया/अपीलांट के वाद एवं अपील को खारिज करने में किसी प्रकार कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है। हमने अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया। हमारे विनम्र मत में तथ्यों की भिन्नता के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों पूर्णतया सहमत हैं एवं उनमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर केम्प मेडता द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2–2–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी मेडता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–7–2005 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड भेजा जाये। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द कुमार पुरोहित)
सदस्य

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य